न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 02/2011 गुण्डा नियंत्रण एक्ट

अनवानी :– मोहम्मद इस्माइल पुत्र जमालदीन जाति मुसलमान निवासी सैयदों का मोहल्ला, मदीना मस्जिद के पीछे, बीकानेर ।

———— अपीलांट

—— बनाम ——

राजस्थान स्टेट

———— रेस्पोडेन्ट

अनुपस्थित आर.के.दास गुप्ता — अभिभाषक अपीलान्ट
उपस्थित श्रीगजेन्द्रसिंह राठौड़ — सहायक लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 3.9.2019**

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) बीकानेर के निर्णय दिनांक 13.7.2011, जिसके द्वारा अपीलान्ट को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र बीकानेर से छः माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश दिये गये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा सहायक लोक अभियोजक के माध्यम से दिनांक 13.4.2011 को अति.जिला मजिस्ट्रेट(नगर) बीकानेर के समक्ष राज. गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी मोहम्मद इस्माइल पुत्र जमालदीन जाति मुसलमान निवासी सैयदों का मोहल्ला, मदीना मस्जिद के पीछे, बीकानेर के विरूद्व इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल जुआ सट्टा करने का आदी है, जिसकी समाज में आम शौहतर खराब है । यह शख्स अकेला व गिरोह बनाकर हुआ सट्टा की कार्यवाही को अन्जाम देता तथा लोगों को व बच्चों को डरा धमका कर जुआ सट्टा जैसे अपराध कार्य करने को मजबूर करता है । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । गैर सायल के खिलाफ लोग अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुक्शान के भय के कारण गवाही देने को तैयार नहीं है । इसके विरुध्द जुआ अधिनियम के अन्तर्गत कुल 3 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है । गैर सायल द्वारा सट्टे की खाईवाली करने से युवा पीढी पर बुरा प्रभाव पड़ता है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है, अतः गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) बीकानेर द्वारा दिनांक 15.4.11 को अपीलान्ट के निमित जवाब स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 28.4.11 की तारीख पेशी दी गयी । प्रकरण में अपीलान्ट के निर्धारित पेशी पर उपस्थित नहीं आने पर पुनः 10.5.11 की पेशी दी गयी । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 10.5.11 को उपस्थित होने के पश्चात जवाब हेतु अवसर चाहा गया तथा दिनांक 17.5.11 को जवाब नोटिश पेश किया गया । दिनांक 24.5.11 एवं 3.6.11 को अभियोजन पक्ष के गवाह की साक्ष्य होने के पश्चात् प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के गवाहन के शपथ पत्र प्रस्तुत करवाये जाने के पश्चात न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) बीकानेर द्वारा दिनांक 13.7.11 को अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिध्द मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत अपीलान्ट को गुण्डा घोषित कर जिला क्षेत्र बीकानेर से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश दिये। न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) बीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 13.7.11 के विरुध्द गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 16.8.11 तक अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विती स्थगित रखने के आदेश दिये एवं स्थगन आदेश की अवधि दिनांक 19.9.11 तक बढाई गयी । अपील में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट वरवक्त बहस अनुपस्थित रहने से अपील मीमो का अवलोकन कर प्रकरण में सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

5. अपील मीमो अनुसार अपीलान्ट का मुख्य रुप से कथन है कि अपीलार्थी के विरुध्द राजस्थान पब्लिक गैंबलिंग अधिनियम के तहत थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, बीकानेर द्वारा धारा 13आरपीजीओ के अन्तर्गत कुल 3 मुकदमे दर्ज किये गये थे, जिनमें 2 मुकदमों में अपीलान्ट को न्यायालय द्वारा जुर्माना की सजा हुई है । इस आधार पर अपीलान्ट को आदतन अपराधी घोषित किया गया है, जो उचित नहीं है । अपीलान्ट गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का व्यक्ति है, उसके परिवार का भरण पोषण करने वाला मात्र अपीलान्ट अकेला व्यक्ति है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.7.11 निरस्त फरमाया जावे ।

6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के विरुध्द धारा 13 आरपीजीओ के तहत कुल 3 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें बाद अनुसन्धान न्यायालाय में चालान पेश किया गया तथा सक्षम न्यायालाय द्वारा दो प्रकरणों में अपीलान्ट को सजायाब फरमाया जाकर जुर्माना लगाया गया है । प्रकरण में धारा 3(1) की उप धारा ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिध्द करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा तथा अभियोजन पक्ष के गवाह के अनुसार गैर सायल जुआ सट्टे का आदि है । इसकी आम शोहरत अच्छी नहीं है, मोहल्ले के आम जन तथा लोग इसके

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विरुध्द गवाही देने से डरते हैं । अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष में 3 व्यक्तियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जो स्वतंत्र गवाह नहीं है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 13.4.2011 के अनुसार अपीलार्थी के विरुध्द जुआ अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत 3 मुकदमे दर्ज होकर निम्नलिखित 2 मुकदमों में न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सजायाब किया गया है:–

क.सं.	मु.नं. व दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय दिनांक	नतीजा
1	3/16.1.2010	13 RPGO	28.1.2011	सजा 100/– जुर्माना
2	46/14.5.2010	13 RPGO	27.7.2010	सजा 100/– जुर्माना

8. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तो का होना आवश्यक है :–

क– वह व्यक्ति गुण्डा हो ।

ख– (i) उसकी गतिविधियों से जिले/किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।

(ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।

ग– साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के कारण उसके विरुध्द साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।

9. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2–ख(v) अनुसार राजस्थान लोक धूत अध्यादेश 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिध्द होने पर वह गुण्डा की श्रेणी में आता है । प्रकरण में अपीलार्थी के विरुध्द धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत 3 मुकदमे दर्ज हुए एवम् दो मुकदमों में न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सजायाब किया गया है । इस प्रकार अपीलार्थी धारा 2 ख (v)अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है । प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार अपीलान्ट की आम शोहरत अच्छी नहीं है, मोहल्ले के आम जन में भय व्याप्त है तथा भय के कारण लोग इसके विरुध्द पुलिस में शिकायत करने या गवाही देने से डरते हैं। इस बाबत अभियोजन पक्ष द्वारा 2 गवाह पेश किये गये हैं । प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अपने बचाव पक्ष में 3 मोहल्ला वासियों के शपथ पत्र पेश किये गये हैं, जो स्वतंत्र गवाह की श्रेणी में नहीं आते हैं । प्रकरण में अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट तीनों शर्तें पूरी होने के आधार पर न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) बीकानेर द्वारा अपीलान्ट को 6 माह की अवधि

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के लिए जिला क्षेत्र बीकानेर से जिला बदर करने के आदेश दिये गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जिला बदर कर अपीलान्ट को किस थाना क्षेत्र में उपस्थित होना होना है, कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपने आप में स्पष्ट नहीं है । राज.गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा–3 की उपधारा 1 के खण्ड ''ख'' में दिये गये प्रावधान अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिला बदर करने के लिए यह आवश्यक शर्त है कि वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ हो । परन्तु अपीलान्ट द्वारा वर्तमान में जुआ सट्टे के दुष्कृत्य में लगा होने के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत निष्कासन की आवश्यक शर्त धारा 3 की उपधारा 1 के खण्ड ''ख'' के सम्बन्ध में वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जांच की जाकर पुनः विधि अनुसार युक्तियुक्त आदेश पारित किया जावे ।

11. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 3.9.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर